उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-25+26/2010-11

किशोरी गिरी बनाम् राज्य एवं अन्य

निलेश कुमार झा बनाम् चन्द्रशेखर महामरीक वगै0

—: आदेश :—

दिनांक 24/05/17

अपीलकर्त्ता किशोरी गिरी एवं निलेश कुमार झा तथा उत्तरवादी चन्द्रशेखर महामरीक के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद आर0एम0ए0 नं0—25/2010—11 की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता किशोरी गिरी, पिता—स्व0 जगदेव गिरी, सा0—ताराटीकर, थाना—पोड़ैयाहाट, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन पर एवं आर0एम0ए0 नं0—25/2010 नीलेश कुमार झा, पे0—श्री नंद कुमार झा, सा0—पसई, थाना—पोड़ैयाहाट, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। चूँकि दोनों वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0—04/1993—94 के आदेश दिनांक—12.06.2010 के विरूद्ध दायर किया गया है। इसलिए दोनों अपील वाद को एक साथ सम्बद्ध किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0—04/1993—94 के आदेश दिनांक—12.06.2010 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तरवादी चन्द्रशेखर महामरीक को मौजा—ताराटीकर का प्रधान नियुक्त किया गया है।

अपीलकर्त्ता किशोरी गिरी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—ताराटीकर के गत प्रधान के द्वारा बुढ़ापा के कारण प्रधानी पद से इस्तिफा दिया था, जिस कारण से प्रधानी पद रिक्त हुआ था एवं गत प्रधान के पुत्र द्वारा बहाली के लिए रूचि नहीं लिये जाने के कारण वर्ष 1925 से ही मौजा खास चला आ रहा था। वर्ष 1993 ई0 में मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए राम कैलाश मोसात, किशोरी गिरी के द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया। आवेदन पर जाँच अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद मौजा के सौलह आना रैयतों को प्रधानी पद नियुक्ति हेतु राय देने के लिए नोटिश दिया गया। दिनांक—16.11.2004 को मौजा के सौलह आना रैयत उपस्थित हुए एवं सौलह आना रेयतों ने अपीलकर्त्ता किशोरी गिरी को मौजा का प्रधान

नियुक्त करने के लिए राय दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के चरित्र के संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अपीलकर्त्ता मैट्रिक पास है एवं अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा अपीलकर्त्ता के पक्ष में प्रतिवेदन दिया गया। लम्बा अंतराल के बाद दूसरा आपत्तिकर्त्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आपत्तिकर्त्ता के आवेदन पर भी अपीलकर्त्ता के द्वारा अपना जवाब दिया। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा का प्रधान नियुक्ति नहीं किया। बल्कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत गत प्रधान कौशकी महामरीक के वंशज के आधार पर उत्तरवादी चन्द्रशेखर महामरीक को मौजा–ताराटीकर का प्रधान नियुक्त किया गया। जबकि गत प्रधान कौशकी महामरीक प्रधानी पद से इस्तिफा दिये थे। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता नीलेश कुमार झा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–ताराटीकर प्रधानी मौजा है। मौजा–ताराटीकर के अंतिम प्रधान कौशकी महामरीक थे। जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। मृत्यु के पूर्व ही मौजा के प्रधान कौशकी महामरीक के द्वारा प्रधानी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए मौजा खास हो गया था। खास मौजा होने के कारण अपीलकर्त्ता के द्वारा मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया, जिसकी जाँच अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से कराया गया। मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति कि लिए अन्य आवेदक के द्वारा भी आवेदन दिया गया था। जिसके आधार पर पी0ए0 केश नं0–4/93–94 एवं पी0ए0 केश नं0–268/07–08 संधारित किया और चूँकि दोनों वाद एक ही मौजा से संबंधित होने के कारण दोनों वाद को एक साथ सम्बद्ध करके सुनवाई किया गया। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के द्वारा अपने पत्रांक–226 दिनांक–03.05.2007 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन भेजा गया एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा में प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया है। निम्न न्यायालय के द्वारा सभी पक्षों को सुना गया। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा नियम के विपरीत संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के

आधार पर उत्तरवादी चन्द्रशेखर महामरीक को मौजा का प्रधान नियुक्य किया इसलिए निम्न न्यायालय के पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए संथाल परगना काश्कारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत सुनवाई के लिए निम्न न्यायालय को अभिलेख रिमाण्ड करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी चन्द्र शेखर महामरीक के विद्वान अधिवक्ता को कथन है कि वर्तमान मामला मौजा तारातीकर के प्रधानी नियुक्ति से संबंधित है। मौजा ताराटीकर के अंतिम प्रधान कौशकी महामरीक थे। जिसका वंशावली निम्न प्रकार है :–

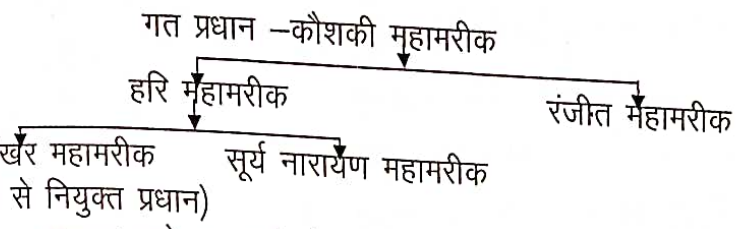

उनका आगे कथन है कि प्रधान पद पर नियुक्ति उत्तराधिकारी के आधार पर होता है एवं केवल उसका वैध उत्तराधिकारी ही अपने पूर्वज प्रधान के स्थान पर नियुक्ति के लिए दावेदार हो सकते हैं। गत प्रधान को बर्खास्त नहीं किया गया था बल्कि उनके द्वारा बुढ़ापा के कारण प्रधानी पद छोड़ा था एवं इससे उनके वंशज के दावा पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट हो गया था कि उत्तरवादी सं0–1 चन्द्रशेखर महामरीक गत प्रधान कौशकी महामरीक को वैध उत्तराधिकारी है और गत प्रधान के वैध उत्तराधिकारी के आधार पर निम्न न्यायालय के द्वारा नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को अपना कर उत्तरवादी चंद्रशेखर महामरीक को मौजा–ताराटीकर का प्रधान नियुक्त किया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश जो बी0बी0सी0जे0 1995 पेज सं0–31 में दर्ज है, से भी स्पष्ट है कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 एवं 6 के तहत एक मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिये जाने पर सर्व प्रथम संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत प्रक्रिया अपनाये जाने का नियम है। मौजा–ताराटीकर के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरवादी चन्द्रशेखर महामरीक ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। जबकि अपीलकर्त्ता का आवेदन संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत था। उनका आगे

कथन है कि गत प्रधानी कौशकी महामरीक को प्रधानी पद से बखास्त नहीं किया था। बल्कि old age के कारण प्रधानी पद छोड़ा था। इसलिए गत प्रधान के उत्तराधिकारी का दावा समाप्त नहीं होता है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के बी0एल0जे0 1997 पेज सं0–154 का उल्लेख किया है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सं0–1 के आग स्वीकार्यता के संबंध में मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश दिया गया था। मौजा के रैयतों की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी सं0–1 को उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक 585/रा0 दिनांक 19.11.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि अपीलकर्त्ता को ग्रामीणों ने प्रधानी पद के लिए चुना था। जहाँ पर कौशकी महामरीक मौजा के अंतिम प्रधान था। प्रधानी पद पर वहाली हेतु अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा पी0ए0 वाद सं0–04/93–94 चलाया गया, जिसमें कि कौशकी महामरीक के पोता–चन्द्रशेखर महामरीक, पे0–स्व0 हरि महामरीक को प्रधान नियुक्ति किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–ताराटीकर के अंतिम प्रधान कौशकी महामरीक प्रधान थे। उत्तरवादी चन्द्रशेखर महामरीक गत प्रधान के वंशज थे। निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी चन्द्रशेखर महामरीक को संथाल परगना काश्ताकारी(पूरक) अधिनिमय 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–ताराटीकर का प्रधान नियुक्त किया गया है। अपीलकर्त्ता का दावा संथाल परगना काश्ताकारी(पूरक) अधिनिमय 1949 की धारा 5 के तहत था। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–04/93–94 में दिनांक–12.06.2010 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

24/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:17:43 +05:30
Location: 192.168.29.8